न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या–32/2012

1. श्री सुखदेव पुत्र श्री मोहनलाल छीपा
2. माया पुत्री श्री मोहनलाल जी छीपा
   दोनों जाति छीपा एवं निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती जमीला पत्नि श्री मिश्री खां जाति मुसलमान निवासीनी ग्राम जालिया द्वितीय तहसील – मसूदा जिला – अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, बिजयनगर, तहसील – मसूदा जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

1. ओमप्रकाश कलवार
   वकील प्रार्थी
2. गोविन्द नारायण शर्मा
   वकील आप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित

आदेश

दिनांक 11.02.2017

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर में आराजी ख0 न0 1292 रक्बा 4–03–00 बीघा व 1291 रक्बा 3–19–00 व 1295 रक्बा 01 बिस्वा तथा 1296 रक्बा 2–17–00 बीघा स्थित है। इन पर आने जाने के लिए सदियों से रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी ख0 न0 1294 से होकर चला आता है लेकिन अब अप्रार्थीया संख्या 1 की नियत बंद हो गई और उसने केवल रास्ते के सामने दीवार खडी करने के लिए पत्थर डलवा दिये है अतः उसे रास्ता रोकने से मुनादी करवाई जावे तथा नक्शे लंकलॉट में नक्शा तरमीम करने के आदेश प्रादान करावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया संख्या 1 ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीया की भूमि ख0 न0 1294 की अपेक्षा ख0 न0 1276 व 1283 से होकर गुजरता है इसलिए रास्ता रोकने का तो प्रश्न ही नही उठता। अप्रार्थीया अपनी आराजी ख0 न0 1294 की आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरो से सुरक्षा के लिए चार दीवारी करवा रही है जिसे रूकवाने के प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फर्माया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

बहस प्रार्थना पत्र विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ख0 न0 1291, 1292, 1295, एवं 1296 प्रार्थीगण की खातेदारी का है लेकिन सदियों से

अप्रार्थीया के खेत ख0 न0 1294 से रास्ता होने संबधी कोई साक्ष्य या सबूत प्रार्थीगण पेंश नही कर सके है अलावा इसके प्रार्थीगण ने जो प्रति नक्शा ट्रेस की पेश की है उसके अनुसार मुख्य मार्ग से प्रार्थीगण के खेत पर जाने के लिए पगडडी ख0 न0 1296, 1300 व 1301 से होकर गुतरती हुई अंकित है। अप्रार्थीया को अपने खेत के चार दिवारी करवाने के पूर्ण अधिकार है केवल मात्र मौखिक कथन मात्र से अप्रार्थीया की आराजी से कोई रास्ता नही दिया जा सकता न ही तरमीम करवाया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम की पर्व्यू में नही आता जो स्वीकार योग्य नही है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:58:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: